Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 52-2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018 (CHAITRA 7, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 मार्च, 2018

संख्या 37/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 58/2018.– चूंकि राज्य सरकार आवश्यक समझती है कि नियम तुरन्त लागू होने चाहिए; इसलिए पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 58 की उप–धारा (2) तथा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) नियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) संशोधन नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

(2) ये प्रथम अप्रैल, 2018 से लागू होंगे।

2. हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) नियम, 1988 में, नियम 5 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(1) इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, शहरी जोन के सभी अनुज्ञप्तिधारियों को न्यूनतम चार लाख रूपये के अध्यधीन जोन की अनुज्ञप्ति फीस के 0.8 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस जमा करनी होगी। उन्हें अपने जोन में दो अनुमत कक्ष तक खोलने की स्वतन्त्रता होगी। इसी तरह, उप–शहरी जोन के सभी अनुज्ञप्तिधारियों को न्यूनतम दो लाख रूपये के अध्यधीन जोन की अनुज्ञप्ति फीस के 0.4 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस जमा करनी होगी। उन्हें अपने जोन में एक अनुमत कक्ष तक खोलने की स्वतन्त्रता होगी। प्रत्येक अतिरिक्त अनुमत कक्ष, उक्त निर्धारित सीमा से परे, न्यूनतम दो लाख रूपये के अध्यधीन अनुज्ञप्ति फीस के 0.4 प्रतिशत के भुगतान पर अनुज्ञात किया जायेगा। अनुमत कक्ष चारदीवारी के बिना खुले स्थान में संचालित नहीं किया जाएगा। स्थान गुप्त तथा बन्द होना चाहिए। स्थान साधारणतः राहगीर के लिए दृश्य नहीं होगा तथा ऐसे स्थान में पहुंच उचित सीमांकित प्रवेश के द्वारा होनी चाहिए। सम्पूर्ण उद्देश्य राहगीर के सम्पूर्ण विचार में लोगों में शराब पीने से रोकना है। अनुमत कक्ष केवल ठेके के निकटवर्ती स्थान पर ही चलाया जाएगा। अनुमत कक्ष का क्षेत्र अनुमत कक्ष के अनुमोदन के समय पर उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी अनुमोदित क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण नहीं करेगा। मदिरा अनुमत कक्ष में किसी रीति में बेची/परोसी नहीं जाएगी। जनता में हुल्लड़बाज (उपद्रवी) तथा पियक्कड़ व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक खुदरा ठेके में एक अनुमत कक्ष सम्बन्धित नगर निगम/परिषद्/समिति की बाहरी सीमा तथा अन्य राज्यों की सीमा (बार्डर) से पाँच किलोमीटर के भीतर पड़ने वाले शहरी तथा उप शहरी क्षेत्रों में मदिरा (अनु–14क/अनु–2) के प्रत्येक खुदरा बाजार के लिए आबकारी नीति तथा सम्बन्धित आबकारी नियमों/मादक अनुज्ञप्ति तथा विक्रय आदेश, 1956 के उपबन्धों के अनुसार उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी को उचित ढांचा तथा फर्नीचर रखना तथा सफाई तथा स्वास्थ्यकर पर्यावरण बनाए रखना अपेक्षित है।''।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 28th March, 2018

No. 37/X-I/P.A.1/1914/S.58/2018.- Whereas the State Government considers necessary that the rules should be brought into force at once; so in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-sections (2) and (3) of Section 58 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2018.

2. In the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Rules, 1988, in rule 5, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to other provisions of these rules, all licensee of the urban zones shall have to deposit an extra license fee @0.8% of the license fee of the zone, subject to a minimum of four lac rupees. They shall have freedom to open up to two Anumant Kaksh in their respective zones. Similarly, all licensees of the sub-urban zones shall have to deposit an extra license fee @0.4% of the license fee of the zone, subject to a minimum of two lac rupees. They shall have freedom to open up to one Anumat Kaksh in their respective zones. Every additional Anumat Kaksh, beyond the limit prescribed above, shall be granted on payment of 0.4% of the license fee, subject to a minimum of two lac rupees. The Anumat Kaksh shall not be operated in an open space without boundary. The space shall to be confined and enclosed and shall not be a thorough fare or a crossing being used by general public. The space shall not be ordinarily visible to the passersby and the access to such a space should be through a well defined entry. The overall objective is to prevent drinking in public in full view of the passersby. Anumat Kaksh shall only be operated from adjoining place to the vend. The area of Anumat Kaksh shall be approved by Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) at the time of approval of the Anumat Kaksh and licensee shall not encroach beyond the area approved. Liquor shall not be sold or served in any manner in the Anumat Kaksh. In order to prevent rowdy and drunken behavior in public, one Anumat Kaksh with each retail vend, shall be allowed by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) strictly as per the provisions of the Excise Policy and relevant Excise Rules/Intoxicants License and Sales Orders 1956, for each retail outlet of liquor (L-14A/ L-2) in urban areas and sub-urban areas falling within five Kilometers from the outer limit of respective Municipal Corporation/Council/Committees and borders with other States. The licensee is required to have proper structure and furniture and to maintain cleanliness and hygienic environment.".

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana, Excise and Taxation Department.

56151—C.S.—H.G.P., Chd.